रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 31 मार्च, 1975
चैत्र 10, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1279/सत्रह-वि--1-33-75

लखनऊ, 31 मार्च, 1975

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 29 मार्च, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1975)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

नागर स्वायत्त शासन से सम्बन्धित अधिनियमितियों को आगे आये हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने और इलाहाबाद महापालिका के प्रशासन के लिए कतिपय अस्थायी प्रबन्ध की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) यह अध्याय, अध्याय 5 और अध्याय 6 तुरन्त प्रवृत्त होंगे, अध्याय 2 दिनांक 17 सितम्बर, 1974 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा, अध्याय 4 दिनांक 15 अगस्त, 1974 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा और अध्याय 3 दिनांक 23 अक्तूबर, 1974 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन और इलाहाबाद नगर महापालिका के प्रशासन के लिए कतिपय अस्थायी प्रबन्ध के लिए उपबन्ध

उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959 की धारा 8-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8-क की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायें।

इलाहाबाद महापालिका के प्रशासन के संबंध में अस्थायी उपबन्ध

3—मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी 17 सितम्बर, 1974 से ही—

(क) इलाहाबाद महापालिका के नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख, सभासद, विशिष्ट सदस्य और उक्त अधिनियम की धारा 5, 95 तथा 97 के अधीन संगठित अथवा नियुक्त समस्त समितियों, विशेष समितियों, संयुक्त समितियों तथा उप-समितियों के सदस्य और मुख्य नगराधिकारी, अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे, तथा ऐसी समस्त समितियां, विशेष समितियां, संयुक्त समितियां और उप-समितियां विघटित हो जायेंगी;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन नई महापालिका का सम्यक् रूप से पुनर्गठन होने तक, उक्त महापालिका, उसके नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट समितियों की और मुख्य नगराधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य तथा कर्त्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे, और उसके द्वारा उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन किया जायगा, तथा प्रशासक को विधि की दृष्टि से महापालिका, नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, ऐसी समिति अथवा मुख्य नगराधिकारी, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायगा;

(ग) प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, अन्तिम पूर्ववर्ती खण्ड द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में—

(1) उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा; अथवा

(2) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, किसी ऐसे व्यक्ति को अथवा अन्तिम पूर्ववर्ती उपखण्ड के अधीन संगठित किसी ऐसी समिति या अन्य निकाय को जिसे वह इस निमित्त निर्दिष्ट करे, प्रतिनिहित कर सकेगा;

(घ) प्रशासक का ऐसा वेतन और भत्ते, जो उस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा नियत किये जायें, महापालिका की निधि से दिये जायेंगे।

अध्याय 3

संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, 1914 की धारा 6(1) का संशोधन

4—संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की धारा 6 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) धारा 36 में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय समिति का कार्यकाल पांच वर्ष होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सभी समितियों का या किसी समिति का कार्यकाल समय-समय पर इस प्रकार बढ़ा सकेगी कि बढ़ाये गये कुल कार्यकाल का योग दो वर्ष से अधिक न हो।"

अध्याय 4

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 की धारा 2 का संशोधन

5—उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(घघ) 'अध्यक्ष' और 'उपाध्यक्ष' का क्रमशः तात्पर्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से होगा ;"।

धारा 6 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (6) में, शब्द "परिषद्" के स्थान पर शब्द "सलाहकार परिषद्" रख दिया जाय।

7—मूल अधिनियम की धारा 15 में— धारा 15 का संशोधन

(क) जहां कहीं भी शब्द "प्राधिकरण" आया हो उसके स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जाय ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "विनियमों" के स्थान पर शब्द "उपविधियों" रख दिया जाय ;

(ग) उपधारा (5) में जहां कहीं भी शब्द "अधिकरण" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय ।

8—मूल अधिनियम की धारा 27 में,— धारा 27 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,—

(1) शब्द "प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा उस निमित्त सशक्त उसका कोई अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष या उसके द्वारा उस निमित्त सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी" रख दिये जायें ;

(2) शब्द "प्राधिकरण का अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष या ऐसा अधिकारी" और शब्द "प्राधिकरण के उक्त अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष या ऐसे अधिकारी" रख दिये जायें ;

(ख) उपधारा (2), (3), (4) और (5) में, जहां कहीं भी शब्द "अधिकरण" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय ;

(ग) स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय ।

9—मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (4) में, शब्द "इस अधिनियम के प्रख्यापन से पूर्व" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व" रख दिये जायें । धारा 33 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 36 में,— धारा 36 का संशोधन

(क) जहां कहीं भी शब्द "प्राधिकरण" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जाय ;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द और संख्या "धारा 37 के अधीन अधिकरण" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय और अन्त में शब्द "और ऐसे अवधारण पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी" बढ़ा दिये जायें ।

11—मूल अधिनियम की धारा 37 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :— धारा 37 का प्रतिस्थापन

"37—अपील पर अध्यक्ष का प्रत्येक विनिश्चय, और केवल अपील पर (यदि वह की विनिश्चयों का जा सकती हो और की जाय) किसी विनिश्चय के अधीन रहते हुए, धारा अंतिम होना 15 या धारा 27 के अधीन उपाध्यक्ष या अन्य अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।"

12—मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (2) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:— धारा 55 का संशोधन

"(क) धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन या धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अपील के ज्ञापन पर फीस का उद्गृहीत किया जाना ।"

13—मूल अधिनियम की धारा 56 में, उपधारा (2) के खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्:— धारा 56 का संशोधन

"(छ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन पर दी जाने वाली फीस;

(ज) दस्तावेजों तथा मानचित्रों के निरीक्षण या उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिये दी जाने वाली फीस;

(झ) कोई अन्य विषय जिसे विनियमों द्वारा विहित किया जाना हो या किया जाय ।"

14—मूल अधिनियम की धारा 57 में— धारा 57 का संशोधन

(1) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(ख ख) धारा 32 के अधीन अपराधों के शमन के लिये मार्ग-दर्शन करने वाले सिद्धान्त;";

(2) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्:—

"(घ) भवनों के नक्शे या जल प्रदाय, जल निकास तथा मल वहन प्रणाली को तैयार करने के लिये वास्तुकलाविद्, नगर नियोजन इंजीनियरों, सर्वेक्षकों, नक्शानवीसों को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना तथा ऐसी अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिये दी जाने वाली फीस;

(ङ) जब तक धारा 9 में उल्लिखित परिक्षेत्रीय विकास योजनायें तैयार नहीं हो जाती, तब तक उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट विषय;

(च) कोई अन्य विषय जिसे उपविधियों द्वारा विहित किया जाना हो या किया जाय।"

धारा 59 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 59 में—

(क) उपधारा (1) में—

(i) खण्ड (क) में, शब्द तथा अंक, "ऐसी आवास या सुधार स्कीमों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन 12 जून, 1973 के पूर्व प्रारम्भ हो गया था और जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायं" के स्थान पर शब्द तथा अंक, "उन आवास या सुधार स्कीमों को छोड़कर जो, उनमें समाविष्ट क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किए जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन विज्ञापित की गई हों" रख दिये जायं, तथा शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6" के स्थान पर शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24" रख दिये जायें;

(ii) खण्ड (ख) में, शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6" के स्थान पर शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24" रख दिये जायें;

(iii) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(ग) खण्ड (क) और (ख) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, अथवा उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 अथवा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन कोई उपविधियां, निदेश और विनियम जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दिये जायें।";

(ख) उपधारा (3) में, प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात् :—

"ऐसे विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई सम्पूर्ण नगर है, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक को, और उससे, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक के ठीक पूर्व उस नगर की नगर महापालिका के अधिष्ठान के समस्त पद जो उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 जिसे आगे इस धारा में केन्द्रीयित सेवायें कहा गया है, द्वारा नियंत्रित पद न हों किन्तु जो अनन्यतः उक्त अधिनियम के अध्याय 14 अथवा उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अधीन उसके कार्य-कलापों के सम्बन्ध में हों, ऐसे दिनांक से ही ऐसे पदाभिधान से जैसा प्राधिकरण अवधारित करे, विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे, तथा उस नगर की नगरमहापालिका के अधीन सेवा करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों का जो किसी सेवा के सदस्य न हों चयन जिनकी संख्या इस प्रकार अन्तरित पदों की संख्या से अधिक न हो, उन पदों पर नियुक्त किये जाने के लिये, ऐसे निदेशों के अनुसार किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें, और इस प्रकार चयन किये जाने पर वे विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे और उसके अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी हो जायेंगे; और उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक पर तथा सेवा की उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनों पर पद धारण करेंगे जिन पर वे पद धारण करते होते, यदि प्राधिकरण का गठन न किया गया होता, और तब तक उसी प्रकार पद धारण करते रहेंगे जब तक कि ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा शर्तें और निबन्धन प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं।";

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(4) ऐसे विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई सम्पूर्ण नगर है, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक को और उससे, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक के ठीक पूर्व उस नगर की नगर महापालिका के अधिष्ठान के समस्त पद जो केन्द्रीयित सेवाओं

द्वारा नियंत्रित हों, और अनन्यतः उसके उक्त कार्यकलापों के सम्बन्ध में हो, ऐसे दिनांक से ही ऐसे पदाभिधान से जैसा राज्य सरकार अवधारित करे, विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे, किन्तु ऐसे पद केन्द्रीयित सेवाओं के सदस्यों द्वारा उसी प्रकार भरे जाते रहेंगे जिस प्रकार वे भरे जाते यदि वे प्राधिकरण को अन्तरित न किये गये होते, और उक्त अधिनियम तथा केन्द्रीयित सेवाओं से संबंधित नियम तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे।"

(घ) उपधारा (6) में--

(1) खण्ड (ग) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी" रख दिये जायें;

(2) खण्ड (ङ) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन नियुक्त या गठित किसी प्राधिकारी" रख दिये जायें;

(3) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"(च) इस अधिनियम के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन समस्त अपील जो ऐसी घोषणा के दिनांक को, नियन्त्रक प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, अध्यक्ष को अन्तरित हो जायेंगी और अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा और ऐसी समस्त अपील जो निवल्वित प्राधिकारी को सम्बोधित हों और जो उक्त घोषणा के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा ग्रहण की गई हों, अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई समझी जायेंगी और अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।"

अध्याय 5

यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, 1919 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 8, 1919 की धारा 68 का प्रतिस्थापन

16--यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1919 की धारा 68 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्--

"68--राज्य सरकार के किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए, ट्रस्ट अपना धन कोषागार या किसी अनुसूचित बैंक में रख सकेगा या उसे भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनिहित कर सकेगा।"

अध्याय 6

प्रकीर्ण

निरसन

17--(1) उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974 और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं, और तदनुसार प्रथम उल्लिखित अध्यादेश द्वारा यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में किये गये संशोधन कभी नहीं किये गये समझे जायेंगे और उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ होने तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बीच म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेन्ट के पद में किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, जैसा कि वह उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधन के पूर्व था, के उपबन्धों के अनुसार किया गया कोई निर्वाचन विधिमान्य समझा जायगा और सदैव विधि मान्य होगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 34 सा० (त्रिभाषिका)--658--1975--1,809+50ss (मे०)।

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS (AMENDMENT) ACT, 1975

[UTTAR PRADESH ACT NO. 13 OF 1975]

*(*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Nagar Swayatta Shasan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975)*

AN

ACT

to amend various enactments relating to Urban Local Self-Government for the purposes hereinafter appearing, and to provide for certain temporary arrangements for the administration of the Mahapalika of Allahabad.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1975.

(2) This Chapter, Chapter V and Chapter VI, shall come into force at once, Chapter II shall be deemed to have come into force on September 17, 1974, Chapter IV shall be deemed to have come into force on August 15, 1974 and Chapter III shall be deemed to have come into force on October 23, 1974.

CHAPTER II

Amendment of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 and provisions for certain temporary arrangements for the administration of the Nagar Mahapalika of Allahabad

Amendment of section 8-A of U. P. Act II of 1959.

2. In section 8-A of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, *for* the words "one year", the words "two years" shall be *substituted*.

Temporary provisions regarding administration of Mahapalika of Allahabad.

3. On and from the seventeenth day of September, 1974, notwithstanding anything contained in the principal Act—

(*a*) the Nagar Pramukh, the Upa Nagar Pramukh, the Sabhasads, the Vishishta Sadasyas and the members of all Committees, Special Committees, Joint Committees and Sub-committees (constituted or appointed under sections 5, 95 and 97 of the said Act) and the Mukhya Nagar Adhikari of the Mahapalika of Allahabad shall vacate their respective offices, and all such Committees, Special Committees, Joint Committees and Sub-committees shall stand dissolved ;

(*b*) until the due re-constitution of the new Mahapalika under section 9 of the said Act, all powers, functions and duties of the said Mahapalika, its Nagar Pramukh, Upa Nagar Pramukh, and of Committees referred to in section 5 of the said Act and the Mukhya Nagar Adhikari shall be vested in and be exercised, performed and discharged by an officer re-appointed in that behalf by the State Government (hereinafter referred to as the Administrator) and the Administrator shall be deemed in law to be the Mahapalika, the Nagar Pramukh, the Upa Nagar Pramukh, such Committee or the Mukhya Nagar Adhikari, as the occasion may require ;

---

*(For Statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated March 7, 1975.

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 18, 1975 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 21, 1975).

(Received the Assent of the Governor on March 29, 1975 under article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated March 31, 1975).

(*c*) subject to any general or special orders of the State Government, the Administrator may in respect of all or any of the powers conferred on him by the last preceding clause—

(i) consult such committee or other body, if any, constituted in such manner as may be specified by him in that behalf; or

(ii) delegate, subject to such conditions as he may think fit to impose, the powers so conferred, to any person or to any committee or other body constituted under the last preceding sub-clause, to be specified by him in that behalf;

(*d*) such salary and allowances of the Administrator as may be fixed by general or special orders of the State Government in that behalf shall be paid out of the Mahapalika Fund.

CHAPTER III

Amendment of the U. P. Town Areas Act, 1914

Amendment of section 6 of U. P. Act 2 of 1914.

4. In section 6 of the U. P. Town Areas Act, 1914, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted,* namely:—

"(1) Except as provided in section 36, the term of a Committee shall be five years:

Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette,* extend from time to time the term of all or any of the Committees, so, however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years."

CHAPTER IV

Amendment of Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973

Amendment of section 2 of President's Act no. 11 of 1973 as re-enacted by U. P. Act no. 30 of 1974.

5. In section 2 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, as re-enacted by the Uttar Pradesh President's Acts, (Re-enactment with Modifications) Act, 1974, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after clause (d), the following clause shall be *inserted,* namely:—

"(*dd*) 'Chairman' and 'Vice-Chairman' shall mean respectively the Chairman and the Vice-Chairman of the Development Authority."

Amendment of section 6.

6. In section 6 of the principal Act, in sub-section (6), *for* the word "Council", the words "Advisory Council" shall be *substituted.*

Amendment of section 15.

7. In section 15 of the principal Act—

(*a*) *for* the word "Authority", wherever occurring the word "Vice-Chairman" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (1), *for* the word "regulations", the word "bye-laws" shall be *substituted*;

(*c*) in sub-section (5), *for* the word "Tribunal" wherever occurring, the word "Chairman" shall be *substituted.*

Amendment of section 27.

8. In section 27 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (1)—

(i) *for* the words "any officer of the Authority empowered by its Vice-Chairman in that behalf", the words "the Vice-Chairman or any officer of the Authority empowered by him in that behalf" shall be *substituted*;

(ii) *for* the words "the officer of the Authority", the words "the Vice-Chairman or such officer", and *for* the words "the said officer of the Authority" the words "the Vice-Chairman or such officer" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-sections (2), (3), (4) and (5), *for* the word "Tribunal", wherever occurring, the word "Chairman" shall be *substituted*;

(*c*) the Explanation shall be *omitted.*

9. In section 33 of the principal Act, in sub-section (4), *for* the words "promulgation of this Act", the words "commencement of this Act" shall be *substituted*. Amendment of section 33.

10. In section 36 of the principal Act,– Amendment of section 36.

(*a*) *for* the word "Authority", wherever occurring the word "Vice-Chairman" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (4), *for* the words and number "Tribunal under section 37", the word "Chairman" shall be substituted at the end the words "and such determination shall not be questioned in any court", shall be *inserted*.

11. *For* section 37 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :— Substitution of section 37.

"37. Every decision of the Chairman on appeal, and subject only to any decision on appeal (if it lies and is preferred), the order of the Vice-Chairman or other officer under section 15, or section 27, shall be final and shall not be questioned in any Court." Finality of decision.

12. In section 55 of the principal Act, in sub-section (2), *for* clause (*a*) the following clause shall be *substituted*, namely :— Amendment of section 55.

"(*a*) the levy of fee on a memorandum of appeal under sub-section (5) of section 15 or under sub-section (2) of section 27;"

13. In section 56 of the principal Act, in sub-section (2), *after* clause (*f*) the following clauses shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 56.

"(*g*) the fee to be paid on an application for permission under sub-section (1) of section 15;

(*h*) the fee to be paid for inspection or obtaining copies of documents and maps;

(*i*) any other matter which has to be or may be prescribed by regulations."

14. In section 57 of the principal Act— Amendment of section 57.

(i) *after* clause (*b*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*bb*) the guiding principles for composition of offences under section 32;";

(ii) *after* clause (*c*), the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"(*d*) the grant of licences to architects, town planning engineers, surveyors, draftsmen for the preparation of building plans or water supply, drainage and sewerage plans and the fees to be paid for the grant of such licence;

(*e*) for so long as the Zonal Development Plans are not prepared under section 9, the matter specified in clause (*d*) of sub-section (2) of that section;

(*f*) any other matter which has to be or may be prescribed by bye-laws."

15. In section 59 of the principal Act— Amendment of section 59.

(*a*) in sub-section (1)—

(i) in clause (*a*), *for* the words and figures "such housing or improvement schemes the execution of which had commenced before June 12, 1973, as may be specified by the State Government by notification in this behalf in the *Gazette*", the words and figures "those housing or improvement schemes which have been notified under section 32 of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, before the declaration of the area comprised therein as development area" shall be *substituted* and *for* the words and figures "section 6 of the United Provinces General Clauses Act, 1904", the words and figures "sections 6 and 24 of the United Provinces General Clauses Act, 1904" shall be *substituted*;

(ii) in clause (*b*), *for* the words and figures "section 6 of the United Provinces General Clauses Act, 1904", the words and figures "sections 6 and 24 of the United Provinces General Clauses Act, 1904" shall be *substituted ;*

(iii) *after* clause (*b*), the following clause shall be *inserted,* namely :—

"(*c*) without prejudice to the generality of the provisions of clauses (*a*) and (*b*), any bye-laws, directions or regulations under the U. P. Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Regulation of Building Operations Act, 1958 or the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, as the case may be, and in force on the date immediately before the date of commencement of this Act, shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, continue in force, until altered, repealed, or amended by any competent authority under this Act ;"

(*b*) in sub-section (3), *for* the first paragraph, the following paragraph shall be *substituted,* namely :—

"On and from the date of the constitution of the Development Authority in relation to development area which includes the whole of a city as defined in the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, all posts borne on the establishment of the Nagar Mahapalika of that city exclusively in connection with its activities under Chapter XIV of the said Adhiniyam or under the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958, immediately before the date of the constitution of the Development Authority, not being a post governed by the Uttar Pradesh Palika (Centralized) Services Rules, 1966 (hereinafter in this section referred to as the Centralized Services), shall, on and from such date, stand transferred to the Development Authority with such designations as the Authority may determine and officers and other employees who are not members of any Centralized services, serving under the Nagar Mahapalika of that City not exceeding the number of posts so transferred shall be selected in accordance with such directions as may be issued by the State Government for being appointed on the said posts and on such selection shall stand transferred to and become officers and other employees of the Development Authority and shall as such hold office by the same tenure, at the same remuneration and on the same terms and conditions of service as they would have held the same if the Authority had not been constituted, and shall continue to do so unless and until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by the Authority." ;

(*c*) *for* sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(4) On and from the date of the constitution of the Development Authority in relation to a development area which includes the whole of a city as defined in the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, all posts governed by the Centralized Services which were borne on the establishment of the Nagar Mahapalika of that city exclusively in connection with its said activities immediately before the date of constitution of the Development Authority shall, on and from such date, stand transferred to the Development Authority with such designations as the State Government may determine, but all such posts shall continue to be filled by members of the Centralized Services, as they would have been filled had they not been so transferred to the Authority, and the said Adhiniyam and the rules relating to the centralized services shall be deemed to be amended accordingly."

(*d*) in sub-section (6) —

(i) in clause (*c*) *for* the words, brackets and figure "local authority referred to in sub-section (1)", the words, brackets and figure "local authority constituted under any enactment referred to in sub-section (1)" shall be *substituted ;*

(ii) in clause (*e*), *for* the words, brackets and figure "the local authority referred to in sub-section (1)", the words, brackets and figure "any authority appointed or constituted under any enactment referred to in sub-section (1)" shall be *substituted*;

(iii) *after* clause (*e*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*f*) all appeals under sub-section (2) of section 15 of the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958 in relation to an area declared under this Act as a development area, pending before the Controlling Authority on the date of such declaration shall stand transferred to the Chairman and the decision of the Chairman shall be final and all such appeals which were addressed to the Controlling Authority and which were entertained by the Chairman after the said declaration shall be deemed to have been preferred to the Chairman and the decision of the Chairman shall be final."

CHAPTER V

Amendment of the U. P. Town Improvement Act, 1919

Substitution of section 68 of U. P. Act no. 8 of 1919.

16. *For* section 68 of the U. P. Town Improvement Act, 1919, the following section shall be *substituted*, namely :—

"68. Subject to any directions of the State Government, the trust may keep its moneys in the treasury or in any scheduled bank or invest them in any of the securities described in section 20 of the Indian Trust Act, 1882."

CHAPTER VI

Miscellaneous

Repeal.

17. (1) The Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Ordinance, 1974 and the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Alpakalik Vyavastha) Adhyadesh, 1974, are hereby repealed and accordingly the amendments made in the U. P. Municipalities Act, 1916 by the first mentioned Ordinance shall be deemed never to have been made and any election to the office of President of a Municipal Board to fill any casual vacancy in that office made between the commencement of the said Ordinance and the commencement of this Act in accordance with the provisions of the U. P. Municipalities Act, 1916 as it stood before its amendment by the said Ordinance shall be deemed to be and always to have been valid.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act was in force at all material times.

PSUP—A. P. 35 Sa (Vidhayika)—659—1,827+50 S.S.—1975 (M.)